



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक / 2018 पी.व्ही.आर. / रिवीजन

निगरानी - ३८६६/२०१८/ज्ला/ग्वा/भ०२

1. श्री रामप्रसाद गर्ग पुत्र श्री रामनिवास गर्ग

निवासी-172, मॉडर्न गृहनिर्माण कॉलोनी, आर्यभट्ट

छात्रावास के पास, कैलाश नगर, लश्कर ग्वालियर

2. कुन्दनलाल बिजौरिया पुत्र श्री हरिवल्लभ बिजौरिया

निवासी-171, मॉडर्न गृहनिर्माण कॉलोनी, आर्यभट्ट

छात्रावास के पास, कैलाश नगर, लश्कर ग्वालियर

3. श्रीमती लक्ष्मीदेवी शर्मा (मृत वारिसान) श्री सतेन्द्र

शर्मा, पुत्र स्व. श्री बालकृष्ण शर्मा,

निवासी-170, मॉडर्न गृहनिर्माण कॉलोनी, आर्यभट्ट

छात्रावास के पास, कैलाश नगर, लश्कर ग्वालियर

.....रिवीजनकर्तागण

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार ग्वालियर
2. मॉडर्न गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्यादित ग्वालियर
द्वारा अध्यक्ष विनय शर्मा पुत्र श्री पी.एन. शर्मा
निवासी-रामबाग कॉलोनी शिंदे की छावनी म.प्र.
3. जीवाजी विश्वविद्यालय सिटी सेंटर ग्वालियर

(2)

द्वारा कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय सिटी सेंटर
ग्वालियर म.प्र.

4 ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष रविनगर,
ग्वालियर म0प्र0प्रतिरिवीजनकर्तागण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

रिवीजनकर्तागण ने उक्त रिवीजन प्रकरण क्रमांक
12 / 15-16 / अ-12 आदेश दिनांक 10.05.2016 न्यायालय श्रीमान
तहसीलदार महोदय ग्वालियर के अनरिकार्डेंड आदेश से व्यथित
होकर श्रीमान के समक्ष उक्त रिवीजन प्रस्तुत की है।

३

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3866/2018/गवालियर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-8-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा द्वारा ग्रह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक ने यह निगरानी तहसीलदार के किसी unrecorded आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। unrecorded आदेश के विरुद्ध निगरानी सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी कूटरचित आदेश पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही हो रही है तो आवेदक को कलेक्टर के समक्ष यह तथ्य लाना चाहिये। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> <p style="text-align: left;">  निगरानी अध्यक्ष </p>	